

कार्यालय

संयुक्त

निवेशक

फाउंडर

मुख्यालय

लघु

ग. भवन पर

23/जोडी/फाउंडर 14/गोवापद

228

दिनांक 3/8/14

21

20

शेता ग.

नगर निवेशक,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

विषय:

मैसर्स एसएमएचडी एजेंसीज प्रा. लि. द्वारा प्लॉट नं०-जीएच-2 एन0एच0-24 ग्राम शाहपुर बगैठा, गाजियाबाद पर प्रस
गुप्त हाउसिंग भवन हेतु अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

यूआई0डी0:

2014/2250/GZB/Ghaziabad/188/JD

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना के माध्यम से प्ररनगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजमल अनापत्ति प्रम
निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्ररनगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी
दिनांक: 12-08-2014 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी अस्थाई दिनांक: 14-08-2014 उपा
कायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया तथा अपनी संस्तुति आख्या अधी
को उपलब्ध कराई गयी जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण अधीहस्ताक्षरी द्वारा किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

1-कुल प्लॉट एरिया-78947.68वर्गमीटर।

2-प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-19187.69वर्गमीटर।

3-प्रस्तावित अपर बेसमेण्ट कवर्ड एरिया-71141.27वर्गमीटर।

4-प्रस्तावित लोअर बेसमेण्ट कवर्ड एरिया-70376.78वर्गमीटर।

क्रम सं०	नाम प्लॉट एवं तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया	कुल कवर्ड एरिया	भवन की ऊँचाई	स्टेयर केस की चौड़ाई(मी०में)
01	टावर डी1, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+23 तल	828.83वर्गमी.	13577.77वर्गमी.	71.80मीटर	1.50/1.50
02	टावर डी2, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+23 तल	590.48वर्गमी.	12372.51वर्गमी.	71.80मीटर	1.50/1.50
03	टावर डी3, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+22 तल	808.35वर्गमी.	12792.81वर्गमी.	68.80मीटर	1.50/1.50
04	टावर डी4, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+22 तल	828.19वर्गमी.	12777.04वर्गमीटर	68.80मीटर	1.50/1.50
05	टावर डी6, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+23 तल	884.22वर्गमी.	14577.90वर्गमीटर	71.80मीटर	1.50/1.50
06	टावर ई1, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19 तल	542.11वर्गमीटर	9729.27वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50/1.50
07	टावर ई2, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19 तल	542.11वर्गमीटर	9729.27वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50/1.50
08	टावर ए1, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+22 तल	849.41वर्गमीटर	13253.76वर्गमीटर	68.80मीटर	1.50/1.50
09	टावर ए2, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+22 तल	849.41वर्गमीटर	13253.76वर्गमीटर	68.80मीटर	1.50/1.50
10	टावर ए3, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	881.17वर्गमीटर	13298.90वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50/1.50
11	टावर ए4, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	881.17वर्गमीटर	13298.90वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50/1.50
12	टावर ए5, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	881.17वर्गमीटर	13298.90वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50/1.50
13	टावर ए6, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	881.17वर्गमीटर	13298.90वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50/1.50
14	टावर ए7, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	881.17वर्गमीटर	13298.90वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50/1.50
15	टावर ए8, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	881.17वर्गमीटर	13298.90वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50/1.50
16	टावर आर1, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	2209.54वर्गमीटर	28759.11वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50/1.50/1.50/
17	टावर एस1, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+22तल	541.22वर्गमीटर	13129.22वर्गमीटर	68.80मीटर	1.50/1.50
18	टावर एस2, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+22तल	541.22वर्गमीटर	13129.22वर्गमीटर	68.80मीटर	1.50/1.50
19	टावर टी1, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	861.17वर्गमीटर	13298.90वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50/1.50
20	टावर टी2, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	861.17वर्गमीटर	13298.90वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50/1.50
21	टावर टी3, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	551.78वर्गमीटर	9726.21वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50/1.50

22	टावर आई-2 बेसमेंट सिस्टम+10 तल	742.315 वर्गमीटर	13037.673 वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50/1.50
23	कम्यूनिटी हॉल 1 मूल	311.560 वर्गमीटर	311.560 वर्गमीटर	3.0मीटर	2.0
24	कम्यूनिटी हॉल 2 मूल	237.207 वर्गमीटर	237.207 वर्गमीटर	3.0मीटर	2.0
25	कन्वीनीएन्स ऑफ भूतल+प्रथम तल	674.320 वर्गमीटर	1266.657 वर्गमीटर	6.80मीटर	1.50/1.50
26	ई0ईएस/एलआईजी, 2 बेसमेंट+ भूतल+11 तल	790.814 वर्गमीटर	8496.312 वर्गमीटर	38.00मीटर	1.50/1.25

भवन का अभिभाग एवं ईजाई श्रेणी—प्रसंगत भवन का अभिभाग आवासीय अपार्टमेंट (एन0बी0सी0-2005आवासीय श्रेणी ए-4) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्रस्तुत मानचित्रों के अनुसार दोनों बेसमेंट तथा सिस्टम का प्रयोग पार्किंग हेतु एवं शेष सभी तलों का प्रयोग आवासीय हेतु किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त परिसर में दो कम्यूनिटी हॉल एवं कन्वीनीएन्स ऑफ भी प्रस्तावित हैं।

वीथीगत व्यवस्था :-

1-पहुँच मार्ग:- मानचित्रों में भूखण्ड के सामने रोड की चौड़ाई 24.0 मीटर प्रदर्शित है।

2-प्रवेश/निकास द्वार:- मानचित्रों में प्रवेश द्वार/निकास द्वार की चौड़ाई 6.50 मीटर प्रदर्शित है।

3-सैटबैक :-परिसर में सैटबैक का विवरण निम्नवत है।

ए0-अग्रभाग-24.20मीटर।

बी0-ग्रन्थ भाग-15.0मीटर

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-15.0मीटर

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-16.48 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन निर्माण एवं विकास संपादिति 2008 के प्रस्तर 3.4.6 के अनुसार है। परिसर में चारों ओर अग्निशमन वाहनों हेतु वांछित न्यूनतम 9.0 मीटर मोटरबुल मार्ग प्रदर्शित है। यह मार्ग सदैव अवरोध रहित (ओपन टू स्काई) रखे जाने अनिवार्य होंगे। मोटरबुल मार्ग एवं टावरों के मध्य खाली स्थान 60 टन भार वहन क्षमता के अनुसार समतल रखते हुए इस प्रकार बनाया जाना अनिवार्य होगा कि अग्निशमन विभाग की बड़ी गाड़ियों की पहुँच प्रत्येक टावर की प्रत्येक बालकनी तक पहुँच सुनिश्चित हो सके जहाँ पर मानचित्रों में डोटिड लाइन से दर्शाया गया है, और इसमें किसी भी प्रकार का क्षतिग्रस्त या ऊर्ध्वाधर अवरोध न आये।

4-निकास मार्ग :-भवन के सभी तलों में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर इनकी चौड़ाई मानचित्र में प्रदर्शित चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिए। प्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अर्न्तगत है। प्रत्येक टावर की एक स्टेयर में 01 घण्टे फायर रेटिंग के फायर चैक डोर लगाये जाने अनिवार्य होंगे।

5- लिफ्ट:- न्यूनतम एक लिफ्ट को एन0बी0सी0 मानकों के अनुरूप फायर लिफ्ट के रूप में बनाया जाना अनिवार्य होगा।

6-रिफ्रूज एरिया का विवरण:- भवन में प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान प्रस्तावित है जो एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था :- नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वांछनीय है।

1-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर्स):- भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर्स आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

2-होजरील :- भवन में होजरील लेग्जिंग वाल्थ आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

3-वेटराईजर :- भवन में वेटराईजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

4-वॉर्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम :-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में वॉर्ड हाईड्रेन्टस होज कैबिनेट एवं उसमें होज तथा ब्रॉच पाईप तथा फायर सर्विस इन्लेट आई0एस0-13039:1991 के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

5-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- दोनों बेसमेंट तथा 45.0 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवनों में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है। बेसमेंट में कम्पार्टमेंटेशन हेतु वाटर कर्टन का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

6-हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में मैन्यूअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

7-भूमिगत टैंक- प्रसंगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 2,00,000 लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

8-पम्प-प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2280 एलपीएम क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित पम्प, एवं समान क्षमता का डीजल चालित पम्प, तथा 180 एलपीएम क्षमता का जीकी पम्प स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

9-टैरिस टैंक- प्रत्येक टावर/ ब्लॉक में भवन की टैरिस पर 60 मीटर से अधिक ऊँचाई के टावरों में 25,000 हजार ली एवं शेष टावरों में 10,000 लीटर क्षमता का टैरिस टैंक स्थापित कराया जाना कराया जाना मानकों के अनुसार वांछनीय है।

10-स्मोक एक्सट्रैक्शन: भवन की दोनों बेसमेंट हेतु पृथक-पृथक डक्ट बनाकर स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना बाध्यकारी है। राधारण एक्झास्ट फैन स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम के विकल्प के रूप में अनुमत्त नहीं है।

11-एग्जिट साईनेज: सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

12-पी0ए0सिस्टम: सम्पूर्ण भवन में पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करते हुए भवन के सभी तलों के कॉमन एरिया में लाल38स्पीकर लगाये जायें तथा पी0ए0 सिस्टम का कंट्रोल स्विच एवं माईक्रोफोन, एम्पलीफायर नियन्त्रण कक्ष (कंट्रोल रूम/सुरक्षा कक्ष) में अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जायें। नियन्त्रण कक्ष में लिफ्ट के इन्टरकम्युनिकेशन सिस्टम के साथ-साथ सभी आकस्मिक सेवाओं से सम्बन्धित संचार सुविधा उपलब्ध रहे।

13-ट्रेसराईजेशन प्रणाली: प्राचोक टावर में एक स्टोवर के एवं लिफ्ट अर्द्ध बाँधनीय स्थानों पर ट्रेसराईजेशन प्रणाली का प्राविधान एन0बी0सी0 2008 के मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से कराई जायेगी।

14-हैलीपैड: प्ररनगत भवन में हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के प्रस्तर सी0-10 के अनुपालन में बाध्यकारी है।

15-प्रशिक्षित स्टाफ: प्ररनगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2008 के प्रस्तर सी0-8 के अनुसार नियुक्त किया जाना बाध्यकारी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुकरण व सामग्री अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार बाध्यकारी होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स एस0एम0बी0 एजेन्सीज प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट नं0-जीएच-2 एन0एच0-24 ग्राम शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद पर प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2008 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपसन्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदर।


प्रमाणित
नियुक्त निदेशक, फायर सर्विस
कमिश्नर, फायर सर्विस
मुंबई

प्रतिलिपि: 1-उपनिवेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स एस0एम0बी0 एजेन्सीज प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट नं0-जीएच-2 एन0एच0-24 ग्राम शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।